

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में पुलिस थाना प्रतापनगर का हैड कानिस्टेबल 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 03 जूलाई, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये शोभाराम मीणा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना प्रतापनगर, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर आयुक्तालय को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिजनों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में उसके भाई एवं माताजी को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में शोभाराम मीणा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना प्रतापनगर, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर आयुक्तालय द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर चतुर्थ इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बलराम सिंह मीणा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्रीमती रजनी मीणा द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये शोभाराम मीणा पुत्र स्व. श्री सोदान लाल निवासी प्लॉट नं0 97बी, मंगलम विहार, आगरा रोड़, जयपुर हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना प्रतापनगर, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर आयुक्तालय को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में राजीनामा होने के बाद भी आरोपी हैड कानिस्टेबल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये दबाव बनाया जा रहा था।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।